न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 52/2024

अपीलांट –

1. कानाराम पुत्र पदमाराम
2. किरपाराम पुत्र पदमाराम
3. नरसाराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मले का तला, बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. समेलाराम पुत्र मलाराम
2. जैसाराम पुत्र मलाराम
3. रामजीराम पुत्र महेशाराम
4. गाजीराम पुत्र मलाराम जाति मेघवाल निवासी मले का तला, बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार चौहटन
6. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/596 दिनांक 11.12.2010 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 5 प्रर्फोमा पक्षकार।
3. अवशेष रेस्पों0 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.08.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 596 दिनांक 11.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बूठ राठौड़ान में खेत खसरा संख्या 1, 1/537 कुल रकबा 170–04 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन [illegible] का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बूठ राठौड़ान [illegible] तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 596 दिनांक 11.12.2010 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय समक्ष दिनांक 17.10.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा बूठ राठौड़ान में खेत खसरा संख्या 1, 1/537 कुल रकबा 170–04 बीघा भूमि आई हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट्स के पिता एवं रेस्पों संख्या 01 से 04 अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 5 के समक्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट्स के पिता एवं उतरदाता संख्या 01 से 04 ने प्रस्ताव, नक्शें व जमाबंदी पर हस्ताक्षर कर भूमि का विभाजन मौके पर मौजूद आलमात के अनुसार ही समझौता प्रस्ताव तैयार कर उसी अनुसार लट्‌ठा ट्रेस में तरमीम करने का आश्वासन दिया परन्तु मौके पर जहां अपीलांट्स का कब्जा काश्त है वह भूमि लट्‌ठा ट्रेस में उतरदाता संख्या 1 से 4 के पक्ष में तथा उतरदाता के कब्जे काश्त की भूमि को अपीलांट्स के पक्ष में गलत तरमीम कर दी गई जिससे अपीलांट्स की ढाणी, चारबाडे, टांके आदि उतरदाता के हिस्से में चले गये। जिससे पक्षकारान के मध्य बंटवाडा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं हुआ है, लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस इस विभाजन के नक्शे का ज्ञान अपीलांट्स को नहीं हुआ तथा अरसा 10–15 दिन पूर्व अपीलांट्स के द्वारा अपने खेत की तरमीम बाबत हल्का पटवारी से जांच करवाई जिस पर अपीलांट्स के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने की जानकारी हुई। अपीलांट्स को तरमीम के बारे मे संशय पैदा हुआ तथा अपीलांट्स ने रेकर्ड की जांच की तो पता चला कि सहमति से विभाजन मे तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई है। जिस पर अपीलांट्स को अपने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट्स ने उक्त सहमति विभाजन की हल्का पटवारी से नकलें मांगी गई तो तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का बताया जिस पर नकल आवेदन की प्रति[illegible] जिसमें उक्त विभाजन की पत्रावली कार्यालय में उप[illegible] है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलांट को दिनांक 25.09.2024 को [illegible] हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की [illegible] है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 सूचना बावजूद रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बूठ राठौड़ान में खेत खसरा संख्या 1, 1/537 कुल रकबा 170–04 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बूठ राठौड़ान की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 596 दिनांक 11.12.2010 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की ढाणी, चारबाडे, टांके इत्यादि उतरदातागण के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे, टांके इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट्स के पिता एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में प्रशासन गांवों के संग अभियान के द्वारा विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। अपीलांट्स द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडे के करीब 14 वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की ज[illegible]

9. निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर